संख्या-121/2016/1984/41-2016-55 यो0/10

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 24 नवम्बर 2016**

विषय-केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत जनपद फर्रूखाबाद में कम्पिल के पर्यटन विकास हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1137/6-1-1(कम्पिल)/16, दिनांक 07-11-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लिखित करना है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद फर्रूखाबाद में कम्पिल के पर्यटन विकास हेतु कार्यदायी संस्था नगर पंचायत कम्पिल द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0 488.31 लाख (रूपये चार करोड अट्ठासी लाख इकतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथम किश्त धनराशि रू0 48.348 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 38/996/41-2015-55 यो0/10, दिनांक 15.09.2014 द्वारा तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रश्नगत योजना हेतु अवशेष धनराशि रू0 439.96 लाख का 40 प्रतिशत धनराशि रू0 193.39 लाख (रूपये एक करोड तिरानवे लाख उन्तालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 04/2016/63/41-2016-55 यो0/10, दिनांक 15.01.2016 द्वारा प्रदान की गयी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद फर्रूखाबाद में कम्पिल के पर्यटन विकास के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि रू0 1,73,04,300/- लाख (रूपये एक करोड तिहत्तर लाख चार हजार तीन सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं -

(1) उपर्युक्त निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृत पत्र सं0-5 पीएनसी (14)/2013, दिनांक 04-03-2014 में उल्लिखित कार्यमद एवं निर्धारित शर्तों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत निर्माण कार्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा तथा प्रायोजना कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नही की गयी है।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार संगत नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। यदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन पर व्याज अर्जित किया गया है/किया जाता है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(5) प्रश्नगत योजना की वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा।

(6) कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर सक्षम स्तर से शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त निर्माण कार्य में अब तक हुये कार्यों की गुणवत्ता एवं मानकों का परीक्षण सुनिश्चित करा लिया जायेगा।

(7) प्रस्तर-3 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही किया जायेगा तथा यदि अवमुक्त की जा रही धनराशि अप्रयुक्त/शेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिये जायें।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था रहे।

(10) योजना का अनुश्रवण महानिदेशक, पर्यटन द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक एवं त्रैमासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) प्रश्नगत योजना सम्बन्धी आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

4- प्रस्तर-3 में स्वीकृत की जा रही धनराशि के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0115-डेस्टिनेशन/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सर्किट डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक-26 अगस्त, 2014 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-121/2016/1984(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
7- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ।
8- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कम्पिल, फर्रूखाबाद।
9- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।